पत्र संख्या—6 / योजना—01—55 / 2015गृ0आ0.............................. /

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक फरवरी, 2016

विषयः— **विभिन्न पुलिस भवनों के चहारदिवारी पहुँच पथ निर्माण एवं विशेष मरम्मति कार्य के लिए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 78,73,300 (अठत्तर लाख तिहत्तर हजार तीन सौ रू0) की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 78,73,300 (अठत्तर लाख तिहत्तर हजार तीन सौ रू0) विमुक्त करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक—1085, दिनांक—17.09.2015 के संबंध में कहना है कि निम्नांकित जिलों के विभिन्न पुलिस भवनों के चहारदिवारी, पहुँच पथ निर्माण एवं विशेष मरम्मति कार्य हेतु बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए कुल प्राक्कलित राशि ₹ 78,73,300 (अठत्तर लाख तिहत्तर हजार तीन सौ रू0) की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया हैः—

क्र0	जिला का नाम	कार्य का नाम	राशि
1.	पूर्णियां	पुलिस लाईन में ऑफिसर आवास का विशेष मरम्मति कार्य।	1,49,800
2.	लखीसराय	पुलिस अधीक्षक, लखीसराय के आवास का विशेष मरम्मति कार्य।	2,42,500
3.	मधेपुरा	पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के आवास का चहारदिवारी का निर्माण कार्य।	45,15,400
4.	बाँका	फुल्लीडूमर थाना में चहारदिवारी एवं पहुँच पथ तथा दो सीटेड शौचालय का निर्माण कार्य।	20,59,800
5.	भागलपुर	सी0टी0एस0, नाथनगर में अस्पताल भवन का विशेष मरम्मति कार्य।	9,05,300
		कुल	**78,73,300**

2. उपर्युक्त के आलोक में पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर विभिन्न पुलिस भवनों के चहारदिवारी पहुँच पथ निर्माण एवं विशेष मरम्मति कार्य के लिए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 78,73,300 (अठत्तर लाख तिहत्तर हजार तीन सौ रू0) की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 78,73,300 (अठत्तर लाख तिहत्तर हजार तीन सौ रू0) विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 78,73,300 (अठत्तर लाख तिहत्तर हजार तीन सौ रू0) राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या—22 के बजट शीर्ष—''4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय—उपमुख्य शीर्ष—00—लघु शीर्ष—051—निर्माण—उपशीर्ष—0101—पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण'' विपत्र कोड—P4055000510101 एवं विषय शीर्ष—53 01—मुख्य निर्माण कार्य, राज्य योजना स्कीम कोड—HOM 5420 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015—16 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

5. निर्माण का कार्य बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना द्वारा किया जायेगा तथा राशि की निकासी कर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पी0एल0 खाता में जमा किया जायेगा।

6. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

7. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यकतानुसार कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण—पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

9. उपयोगिता प्रमाण—पत्र तीन माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

10. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका—6 / योजना—01—55 / 2015गृ0आ0 के पृ0 3 / टि0 पर दिनांक—28.12.2015 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0 / —

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक—6 / योजना—01—55 / 2015गृ0आ0.........944........ / पटना, दिनांक 9 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना / पुलिस महानिदेशक—सह—अध्यक्ष— सह—प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना / अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

5/2/16

6/yojana-01-55-2015